न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

रामेश्वर कुमार .... बनाम .... अशोक कुमार

किस्म मुकदमा ...... 212 RTA ...... मु.नं. 151 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र	
29/9/2025	वकील प्रार्थी द्वारा यह आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। आवेदन दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी ने प्रकरण आवश्यक प्रकृति का मानते हुए स्थगन दिये जाने के निवेदन किये जाने पर वकील प्रार्थी की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा करने का निवेदन किया गया। अतः प्रार्थना पत्र की आकस्मिकता व तत्काल आवश्यकता को देखते हुए वकील प्रार्थी का अनुतोष स्वीकार किया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से अंतरिम रूप से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात खसरा सं. 1644/1401 रकबा 1.2800 हेक्टेयर, खसरा सं. 1651/1412 रकबा 1.5650 हेक्टेयर, खसरा सं. 1654/91 रकबा 1.4200 हेक्टेयर, खसरा सं. 1657/708 रकबा 0.2600 हेक्टेयर, खसरा सं. 1659/714 रकबा 0.0250 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.5500 हेक्टेयर वाके ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर में आगामी तारीख पेशी तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त अंतरिम स्थगन प्रचलित रास्तों/कटान के रास्तों, जल/विद्युत संबंध, राको रोड़ा के तहत बैंक कार्यवाही व राजकीय वसूली आदि पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रकरण को प्रार्थी द्वारा स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीपक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि यह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम (3)(क) के प्रावधानों के अनुसार एकपक्षीय आदेश का युक्तियुक्त निर्णय कराने के लिए हर सम्भव यत्न करें। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई हैं, में परिवर्तन की दशा में या अन्य कोई तथ्य ज्ञात होने पर संशोधित/वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक एडी. नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 28.10.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर	
28/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली [illegible] व [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] किया।	[illegible] Rakesh

उपखण्ड अधिकारी जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:30:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

राकेश कुमार बनाम अमोद कुमार

किस्म मुकदमा धारा 212 RTA मु.नं. 151 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
	वकील प्रार्थी को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया अतः वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली मुताबिक "कोर्ट ट्रेक" बेक के इसी स्तर पर खारिज करने के आदेश दिये जाते है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो	

उपखण्ड अधिकारी, धोद ★ जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:30:01 IST
Reason: SelfAttested